(77)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल,**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3662-पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 16-8-2015 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, इन्दौर प्रकरण क्रमांक 36/अपील/2012-13.

---

1. सिद्धनाथ पिता हीरालाल मृत तर्फे वारिस
   कैलाश पिता सिद्धनाथ
   1. बद्रीलाल पिता सिद्धनाथ
   2. चम्पालाल पिता सिद्धनाथ
   3. राजूबाई पिता सिद्धनाथ
   4. लक्ष्मीबाई पिता सिद्धनाथ
   5. हेमलता पिता सिद्धनाथ
   6. ललिता पिता सिद्धनाथ
2. श्याम पिता हीरालाल
3. चुन्नीलाल पिता हीरालाल
4. रमेश पिता हीरालाल मृत तर्फे वारिस
   अ. कमल पिता रमेश
   ब. विमल पिता रमेश
   स. मनोज पिता रमेश
   द. ललिताबाई बेवा रमेश
5. मोहनलाल पिता रामगोपाल
6. वासुदेव पिता रामगोपाल मृत तर्फे वारिस
   अ. राजूबाई पति स्व. वासुदेव
   ब. नारायण पिता वासुदेव
   स. राजेश पिता वासुदेव
7. जगदीश पिता मदनलाल
8. श्रीमती सुन्दरबाई बेवा शिवजीराम मृत तर्फे वारिस
   1. हरिनारायण पिता शिवजीराम
   2. प्रकाश पिता शिवजीराम
   3. किशोर पिता शिवजीराम

4. मुरलीधर पिता शिवजीराम
5. महेश पिता शिवजीराम
6. भूरीबाई पिता शिवजीराम
7. कविताबाई पिता शिवजीराम
8. रामकन्याबाई पिता शिवजीराम
9. सविताबाई पिता शिवजीराम

9. डोडरमल पिता रामगोपाल मृत तर्फे वारिस

अ. राजाराम पिता डोडरमल

ब. पुष्पा पिता डोडरमल

स. झब्बूबाई पति डोडरमल

निवासीगण ग्राम रंगवासा

तहसील व जिला इन्दौर .....आवेदकगण

विरूद्ध

1. श्रीमती गीताबाई पति स्व. रामप्रसाद चौधरी
2. श्रीमती गौरीबाई पति स्व. छोगामल मृत तर्फे वारिस

अ. संतोष पिता छोगामल

ब. दिनेश पिता छोगामल

द. राजेन्द्र पिता छोगामल

निवासीगण ग्राम रंगवासा

तहसील व जिला इन्दौर .....अनावेदकगण

श्री हरीश सोलंकी, अभिभाषक, आवेदकगण

श्री हरीश पवार, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 4/2/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, इन्दौर द्वारा पारित दिनांक 16-8-2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा नायब तहसीलदार, तहसील व जिला इंदौर द्वारा ग्राम रंगवासा की नामान्तरण पंजी क्रमांक 65/16-8-2005 आदेश दिनांक 16-9-2005 के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, इन्दौर के समक्ष दिनांक 7-1-2013 को सात वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई । साथ ही विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 36/अपील/2012-13 दर्ज कर दिनांक 16-8-2018 को आदेश पारित कर विलम्ब क्षमा किया जाकर प्रकरण गुण-दोष पर तर्क हेतु नियत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

(1) अनावेदक पक्ष ने स्वयं की अंगूठा निशानी होना स्वीकार किया है, किन्तु बाद में इस तथ्य को अस्वीकार किया है कि बटवारे में उनके द्वारा कोई सहमति नहीं दी गई है, जबकि प्रस्तुत आवेदन पत्र पर अनावेदक पक्ष ने स्वयं अंगूठा निशानी अंकित कर अपनी सहमति दिये जाने के उपरांत ही तहसील न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है । व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 96(3) के अनुसार सहमति से पारित आदेश के विरूद्ध अपील पोषनीय नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) अनावेदक पक्ष द्वारा सहमति से पारित आदेश को 8 वर्ष पश्चात विलम्ब से अपील में त्रुटिपूर्ण आधारों पर चुनौती दी जा रही है, जबकि सहमति से पारित आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकती है ।

(3) अनावेदक पक्ष, तहसील न्यायालय में पक्षकार थे, इसलिए उनके द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टान्तों का लाभ उन्हें प्राप्त नहीं हो सकता है ।

(4) अनावेदक पक्ष द्वारा असत्य कथन किया गया है कि उन्हें तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 16-9-2005 की जानकारी नहीं थी । उनका यह कथन भी असत्य है कि कुछ माह पूर्व सर्वे क्रमांक 303/1 की भूमि के सीमांकन हेतु मौके पर राजस्व निरीक्षक आये, तब उन्हें इस तथ्य की जानकारी हुई कि नामान्तरण आदेश पारित हो चुका है और उनके द्वारा दिनांक 21-12-2012 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया एवं दिनांक 31-12-2012 को प्रमाणित प्रति प्राप्त कर अपील समयावधि में प्रस्तुत की गई है । उक्त तथ्य को आधार मानते हुए आदेश पारित करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा गंभीर वैधानिक त्रुटि की गई है ।

(5) अनावेदक पक्ष द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र असत्य एवं आधारहीन है, जो गुण-दोष पर स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है । अनावेदक पक्ष द्वारा प्रत्येक दिन के विलम्ब का स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया है और तहसील न्यायालय द्वारा सहमति के आधार पर आदेश पारित किया गया है । अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाये ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

(1) अनावेदकगण द्वारा उनके पैतृक सम्पत्ति के बटवारे के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी, जिसमें स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख किया गया था कि उक्त बटवारा वैधानिक न होने से अनावेदकगण पर बंधनकारी नहीं है । अनावेदकगण को बटवारा आदेश की जानकारी तब प्राप्त हुई, जब अनावेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय से नामांतरण पंजी क्रमांक 63 आदेश दिनांक 16-8-2005 में पूर्ण बटवारा नहीं होकर, आंशिक बटवारे की जानकारी प्राप्त हुई । बटवारा पंजी के अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि सर्वे क्रमांक 241, 445, 246/9 व 149, 155 का बटवारा पंजी अनुसार अनावेदकगण का नाम उपरोक्त वर्णित खसरों में नहीं होने से अपूर्ण तथा अवैधानिक है, तब अनावेदकगण द्वारा अविलम्ब तहसील न्यायालय से दस्तावेजों की सत्यापित प्रति प्राप्त करने के उपरान्त उक्त आलोच्य आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील मय शपथ पत्र व अवधि विधान की धारा के प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा समस्त तथ्यों एवं अभिलेख का सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन उपरांत विलम्ब क्षमा किया गया है, जिसमें कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है ।

(2) अनावेदकगण द्वारा आवेदकगण के पक्ष में कोई लेख का निष्पादन नहीं है । यदि अनावेदकगण द्वारा इस तरह का कोई बटवारा निष्पादन लेख का आवेदन तहसील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया होता तो अनावेदकगण स्वयं सर्वे क्रमांक 241, 245, 246/9, 149, 155 पर भी काबिज होते, किन्तु अनावेदककगण, जिनकी पैतृक सम्पत्ति को छलपूर्वक नाम कम करवा दिया गया है तथा तहसील न्यायालय के समक्ष असत्य आधारों पर बटवारा लेख प्रस्तुत कर दिया गया था, जिसमें भी अनावेदकगण कभी उपस्थित नहीं हुए हैं । उपरोक्त स्थिति में अनुविभागीयअधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है ।

(3) माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल द्वारा उचित कारणों को दृष्टिगत रखते हुए अवधि विधान क आवेदन को स्वीकार किये गये हैं तथा अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष उक्त न्याय दृष्टान्त पेश किया गया है, अत: अनावेदकगण का आवेदन पत्र विधि अनुसार स्वीकार योग्य है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में उठाये गये आधारों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख से स्पष्ट है कि बटवारा कार्यवाही पंजी पर हुई है । अलग-अलग नाम से कई खातों का पंजी पर बटवारा हुआ है, जो कि प्रथम दृष्टया वैधानिक कार्यवाही नहीं है और ऐसे अवैधानिक आदेश को किसी भी समय चुनौती दी जा सकती है, इसमें समय-सीमा की कोई बाधा नहीं आती है । इस सम्बन्ध में 1994 आर.एन. 302 मुन्ना विरूद्ध तुलसी तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :-

"परिसीमा अधिनियम, 1963-धारा 5-परिसीमा का प्रश्न-आदेश अधिकारिता रहित-ऐसा आदेश किसी भी समय आक्षेपित किया जा सकता है-परिसीमा का वर्जन नहीं ।"

अत: अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार करने में कोई भूल नहीं की गई है । वैसे भी प्रकरण का निराकरण तकनीकी आधारों पर नहीं किया जाकर गुण-दोष के आधार पर किया जाना चाहिए ताकि पक्षकारों को वास्तविक न्याय प्राप्त हो सके । उपरोक्त विश्लेषण एवं प्रतिपादित न्याय दृष्टान्त के प्रकाश में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिसंगत हैं, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । दर्शित परिस्थिति में आवेदकगण की ओर से लिखित तर्क में उठाये गये आधार मान्य किये जाने योग्य नहीं हैं ।

6/ अपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16-8-2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर